तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व अपील संख्या संख्या 15/2022 भंवरसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता श्री अजित दैया उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता ने न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त के आदेश की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली हो। अपीलार्थीपक्ष ने यह अपील नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 27.12.2021 ग्राम नरसिंह नगर जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/62–65 दिनांक 15.03.2021 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने बतलाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश को श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौती दी गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2021 में निर्देश दिये गये कि अपीलान्ट को नोटिस जारी कर, उसे सुनकर, उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण आदि सम्पादित करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय करने का आदेश पारित किया। हमने पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया। उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के आदेश को माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौती दी गई एवं माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त अपील को आंशिक स्वीकर कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण अपील प्रभावहीन हो जाने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ में चाराजोही करें। आदेश की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (मदन लाल नेहरा) अपर जिला कलक्टर जोधपुर अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:26 IST
Reason: Self Attested